IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

Study of the awareness among the members of the Village Education Committee about the schemes run by the Central Government for the children with Intellectual Disabilities in the context of Siddharthanagar.

(सिद्धार्थनगर के परिपेक्ष्य में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता का अध्ययन)

MR. SANTOSH KUMAR

Assistant Professor (Special Education)

Shri P.K.Mehta College for the Special Education

Palanpur, Dist-Banaskatha, Gujarat

Abstract

प्रस्तुत लघु शोध उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता के स्तर का अध्ययन किया गया I शोध में चर, अध्ययन का सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य आदि को बताया गया है , जो अध्ययन का प्रमुख आधार है I जिसमें उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपकरणों का वर्णन, परिवार की सहायता आदि तथ्यों को सम्मिलित करके प्रतिदर्श तथा प्रतिचयन का वर्णन किया गया है I लघु शोध में उपकरणों के द्वारा प्रदत के संकलन के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया गया है जिसमें आंकड़ों का मानकीकृत किया जा सके I इस अध्ययन के अंतर्गत शोध विधि, न्यायदर्श विधि एवं चरों का विश्लेषण किया गया है I ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के आंकड़ों को लिया गया तथा योजनाओं की जागरूकता, लिंग, शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता का स्तर, प्रतिशत स्कोर सार्थक अंतर को देखने के लिए प्रतिशत, माध्यमान, मानक विचलन, टी – टेस्ट, टेबल वैल्यू का प्रयोग करके आंकड़ों की व्याख्या किया गया तथा विभिन्न सारणी में दर्शाया गया I योजनाओं की जागरूकता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर महिला पुरुष में मध्यमान एवं मानक विचलन के आधार पर तुलना करने पर बहुत ही कम अंतर देखने को मिला I अध्ययन में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया I शैक्षिक योग्यता के आधार पर पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.), स्नातक, इंटरमीडिएट, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल में मध्य स्तर में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया जबकि निम्न एवं उच्च स्तर की जागरूकता का स्तर कम है I ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में मध्यमान तथा मानक विचलन में अंतर पाया गया जिसमें टी – टेस्ट लगाया गया I जिसमें टेबल वैल्यू से कैल्कुलेटेड वैल्यू कम है I इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों की योजना के प्रति जागरूकता के स्तर का उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर नहीं है I तथा लिंग के आधार पर मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक है I जबकि उच्च एवं निम्न स्तर में जागरूकता का स्तर कम है I महिला एवं पुरुषों में मानक विचलन में अंतर पाया गया I जिस आधार पर टी – टेस्ट लगाया गया है जिसमे टेबल वैल्यू से कैल्कुलेटेड वैल्यू कम है अतः इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं की जागरूकता का स्तर में लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर सामान्य है बल्कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) एवं स्नातक सदस्यों में मध्यमान तथा टी-टेस्ट का प्रयोग करने पर सार्थक अंतर सामान्य पाया गया जबकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों में मध्यमान एवं टी – टेस्ट का प्रयोग करके तुलना करने में सार्थक अंतर है I भावी शोध के कार्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जिससे कि शोध कार्य करने में थोड़ी सहायता मिल सके I

Keywords:- बौद्धिक अक्षम बच्चे, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य |

परिचय : अक्षमता

अक्षमता को जानने से पहले क्षमता को जानना एवं समझना अति आवश्यक होता है I मानव शरीर एवं मस्तिष्क में इतनी अधिक क्षमताएं हैं जो अन्य किसी भी प्राणी में नहीं है I मानव शरीर में एक साथ कई तंत्र कार्य करते हैं जो विभिन्न प्रकार की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग मस्तिष्क है, जो मनुष्य को सोचने, समझने, निर्णय लेने, गणित का कार्य आदि के लिए जिम्मेदार है I आंखों में देखने की क्षमता होती है I आंख और मस्तिष्क के दोनों की सहायता से दो विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना, रंग, आकृति, आदि समझने की क्षमता प्राप्त होती है I कान और मस्तिष्क की सहायता से हम आवाज सुनते हैं तथा पुरुष एवं महिला की आवाज में अंतर समझते हैं, साथ ही यह भी समझते हैं कि आवाज किधर से आ रही है I शरीर की सभी रचना जैसे हड्डी, मांसपेशीय, तथा मस्तिष्क इन सभी के समन्वय से व्यक्ति किसी को उठा सकता है, चल सकता है और दौड़ सकता है I अब क्षमता को समझने के बाद अक्षमता को समझने में निश्चित रूप से सुविधा होगी I अक्षमता क्षमता का बिलकुल विपरीत है I मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होने से सोचने, समझने, निर्णय लेने, तर्क करने हिसाब जोड़ने आदि सभी प्रकार की क्रियाओं में समस्या होती है I यदि मस्तिष्क के साथ आंख भी क्षतिग्रस्त होती है तो रंग, आकार, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अंतर करना, इन सभी क्रियाओं को करने एवं देखने में अक्षमता होती है I दिमाग और कान क्षतिग्रस्त होने से सुनने संबंधी अक्षमता होती है तो मस्तिष्क का ब्रोकाज क्षेत्र एवं गले का संबंधित क्षेत्र क्षतिग्रस्त होने से बोलने संबंधी अक्षमता होती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षति के परिणाम स्वरूप किसी भी कार्य को करने में जो कमी उत्पन्न होती है अक्षमता कहलाती है I अक्षमता किसी भी क्रिया को करने में कमी या रुकावट को दर्शाती है जो किसी सामान्य तौर पर अपेक्षित है I अक्षमता से प्रभावित व्यक्ति हेतु इस परिप्रेक्ष्य में निर्धारित भूमिका अपेक्षित है I सामाजिक परिपेक्ष में अक्षमता शारीरिक एवं मानसिक सीमितता है I अक्षमता ग्रसित व्यक्ति जिसमें क्रियात्मकता सीमित है जन्मजात रूप से अक्षम नहीं है, बल्कि वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ है I क्षति से तात्पर्य शरीर रचना मनोवैज्ञानिक ढांचे और क्रियात्मकता में हरांश एवं असामान्यता को क्षति कहा जा सकता है कोई भी असामान्यता जो शारीरिक या मानसिक स्तर की होती है क्षति कहलाती है यह अंग स्तर पर होती है किसी भी प्रकार का दुराव क्षति दर्शाता है I विकलांगता से तात्पर्य व्यक्ति की उस दशा को कहते हैं जो क्षति या अक्षमता के कारण से उत्पन्न होती है I इसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम निभा पाता है I इस प्रकार विकलांगता व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक, मानसिक स्थितियों और उससे संबंधित क्रियाकलापों से उत्पन्न एक प्रकार की सामाजिक स्वरूप की स्थिति है I दूसरे शब्दों में विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षति के उपरांत व्यक्ति की आयु, लिंग एवं सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है, जैसे यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना बस हाथ जल गया, तो उसकी कोशिका और उत्तक के जलने से क्षति हुई हाथ जल के कारण वह अपना लिखने संबंधी कार्य नहीं कर पाता, यह अक्षमता की स्थिति हुई यदि जले हुए भाग का सही प्रकार से देखभाल एवं उपचार नहीं किया जाए तो उसमें संक्रमण हो जाये I क्रमशः संक्रमण के फलस्वरूप सेप्सिस हो जाए और चिकित्सक द्वारा संपूर्ण संक्रमित हाथ को काट कर हटा दिया जाए, तो व्यक्ति में विकलांगता की स्थिति आ जाएगी I इस प्रकार क्षति, अक्षमता एवं विकलांगता सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं I

निःशक्त जन अधिकार अधिनियम – 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के अक्षमता का वर्णन किया गया है –**1.** दृष्टिबाधित **2.** अल्पदृष्टि **3.** श्रवणबाधित **4.** चलन निःशक्तता **5.** बौद्धिक अक्षमता **6.** स्वलीनता **7.** मानसिक बीमारी **8.** प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात **9.** अधिगम अक्षमता **10.** बहुविकलांगता **11.** बौनापन **12.** मांसपेशिय दुर्विकास **13.** स्पेसिफिक अधिगम अक्षमता **14.** थेलेसेमिया **15.** सिक्कल कोशिका रोग **16.** तेजाब हमला पीड़ित **17.** हेमोफिलिया **18.** पार्किसन रोग **19.** बहुस्कोलोरोसिस **20.** मूक निःशक्तता **21.** अधिरक्त स्राव

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनायें

एडिप योजना, निरामया योजना, सम्भव योजना,कर एवं आयकर में छूट,रेल यात्रा सुविधा ,विकास योजना ,यू.डी.आई.डी. योजना ,सुगम्य भारत अभियान योजना ,घरौंदा योजना ,सामर्थ्य योजना,प्रेरणा एवं सहयोग योजनाLदिशा योजना ,सिपडा योजना,बढ़ते कदम योजना,परिवारिक पेंशन योजना I

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम शिक्षा समिति वह समिति जिसके द्वारा गांव में रहने वाले अन्य सभी गांव वासियों को शिक्षा के नवाचारों के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करता है I इसके द्वारा शैक्षिक प्रगति के सार्थक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं I यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत गांव में बसता है आज भी यह सत्य है कि भारत में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांव में निवास करती है इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित हैं जो गांव में निवास करते हैं I जिनके पुनर्वास एवं शिक्षा के लिए ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग बहुत आवश्यक है I क्योंकि ग्राम शिक्षा समिति गांव का एक लघु शैक्षिक रुप है जिसको हम ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के संगठन में समझ सकते हैं I ग्राम शिक्षा समिति के निम्न सदस्य होते हैं –

ग्राम प्रधान – अध्यक्ष
प्राथमिक स्कूल का प्रधानाध्यापक — सचिव
अभिभावक (पुरुष) — सदस्य
अभिभावक (महिला) — सदस्य

ग्राम शिक्षा समिति ग्राम स्तर पर गांव के बच्चों को शिक्षा के संचालन के स्तर को सुधार करने या इनके शिक्षा स्तर को बढ़ाने का समूह होता है I यह ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक स्तर के बच्चों की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है तथा सरकार द्वारा संचालित शिक्षा में गुणवत्ता को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास करता है I ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करता है I ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए जागरूकता रैली को निकालकर बच्चों तथा अभिभावकों को भी जागरुक करने का कार्य करता है I ग्राम शिक्षा समिति समय समय पर अभिभावक मीटिंग का भी आयोजन करता है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके I

शिक्षा समिति के कार्य

- विद्यालय के वातावारण को बच्चों के अनुरूप बनाना I
- विद्यालय में बच्चों के लिए रैम्प का निर्माण करवाना I
- बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना I
- विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण कराना I
- ग्राम स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना I
- ग्राम स्तर पर गांव के ही विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना I
- ग्राम स्तर पर शिक्षा में उत्पन्न व्यवधानों को दूर करना
- सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित बनाए गए नियमों को दिव्यांग बच्चों तथा अभिभावकों तक पहुंचाना
- विद्यालय में मध्यान्ह भोजन योजना को सुचारू रूप से संचालित करवाना I
- ग्राम स्तर पर स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर बच्चों को स्कूल से जोड़ना
- बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाना I
- बच्चों को ड्रेस वितरित करना I
- नई तकनीकों का पता लगाकर बच्चे तक पहुंचाना I
- दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित कमियों को दूर करना I

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

भारतीय समाज के अंतर्गत विकलांगता को एक अभिशाप माना जाता है I जब विकलांग बच्चों की शिक्षा की बात हुई और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जोड़ दिया गया तो बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़े जाने की बात की गई ताकि वह भी जीवन जीने की दिशा में अग्रसर हो सके I जिससे इन बच्चों की क्षमताओं का विकास करने के प्रयास किए गए जिसके लिए भारत सरकार ने समय-समय पर कई योजनाओं को लागू किया परंतु सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रति बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावक और विद्यालय के शिक्षक कितने जागरूक हैं I इसके स्तर का अध्ययन करने के लिए शोध कर्ता ने इस विषय का चुनाव किया I

अध्ययन का उद्देश्य

1- ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का अध्ययन करना I
2– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का उनके लिंग के आधार पर अध्ययन करना I
3– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अध्ययन करना I

शोध हेतु आवश्यक उपकरण

प्रस्तुत शोध में सिद्धार्थ नगर के परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता का पता लगाने के लिए शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली तैयार किया गया है I

शोध डिजाइन

शोध अध्ययन का प्रारूप प्रायोगिक I

शोध विधि प्रस्तुत अनुसंधान में शोधकर्ता द्वारा विवरणात्मक शोध विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा इस विधि की शोध में शोधकर्ता का स्वतंत्र चारों पर सीधा नियंत्रण नहीं रहता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की जोड़-तोड़ किया जाना भी संभव नहीं होता I

पापुलेशन प्रस्तुत अनुसंधान में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य से हैं I

आंकड़ों का आंकलन एवं व्याख्या

प्रस्तुत शोध में, आंकड़ों का संग्रहण स्कोरिंग को तीन माध्यम से किया I सही उत्तर पर 1अंक प्रदान किया तथा गलत उत्तर पर कोई अंक प्रदान नहीं हुआ I अंक प्रदान करने की अधिकतम संभावना 30 थी तथा निम्नतम 0 रखी गई 0-10 अंक प्राप्त करना, जागरूकता ना होने का संकेत था I तथा 11-20 के बीच अंक प्राप्ति औसत स्तर की जागरूकता का संकेत था तथा 21-30 के बीच अंक प्राप्ति का उच्च जागरूकता के संकेत को इंगित करता है I शोध कर्ता ने सिद्धार्थनगर के परिपेक्ष्य में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता का विश्लेषण की तुलना अलग - अलग प्रकार से की I जो निम्नलिखित है -
1 प्रतिशत 2. मध्यांक 3. मानक विचलन 4. टी- टेस्ट।

आंकड़ों का विश्लेषण

अनुसंधान में आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है I आंकड़ों का विश्लेषण वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने, उपयोगी सूचनाओं का अन्वेषण करने, तथा निर्णय लेने, परिकल्पना, शोध प्रश्न के परीक्षण में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैI प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण का अर्थ आंकड़ों में निहित तथ्यों को निश्चित करने के लिए सामग्री का सारणीयन का अध्ययन करना है इसके अंतर्गत जटिल कारकों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं एवं व्याख्या के उद्देश्य से उनको एक साथ नवीन क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं I **आंकड़ों के विश्लेषण के संबंध में करलिंगर ने लिखा है** - "विश्लेषण के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाता है तथा उनको संगठक भागों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है ताकि अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किया जा सकेI" **डब्ल्यू कुक के अनुसार** - "वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन के तथ्यों परिणामों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के संबंधों की खोज करता है I"

प्रस्तुत अध्ययन का प्रथम उपदेश सिद्धार्थनगर के परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की जागरूकता का अध्ययन करना है I इसे उद्देश्य की प्राप्ति लिए बौद्धिक अक्षम बच्चों के योजना की जागरूकता का स्तर मापने के लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को चुना I

तालिका संख्या (1) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में केन्द्र सरकार की योजनाओं की संख्या के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

क्र.सं.	सदस्यों की संख्या	मध्यमान	प्रतिशत
1.	50	11.86	62.90
कुल	50		

ग्राफ संख्या (1) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में केन्द्र सरकार की योजनाओं की संख्या के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

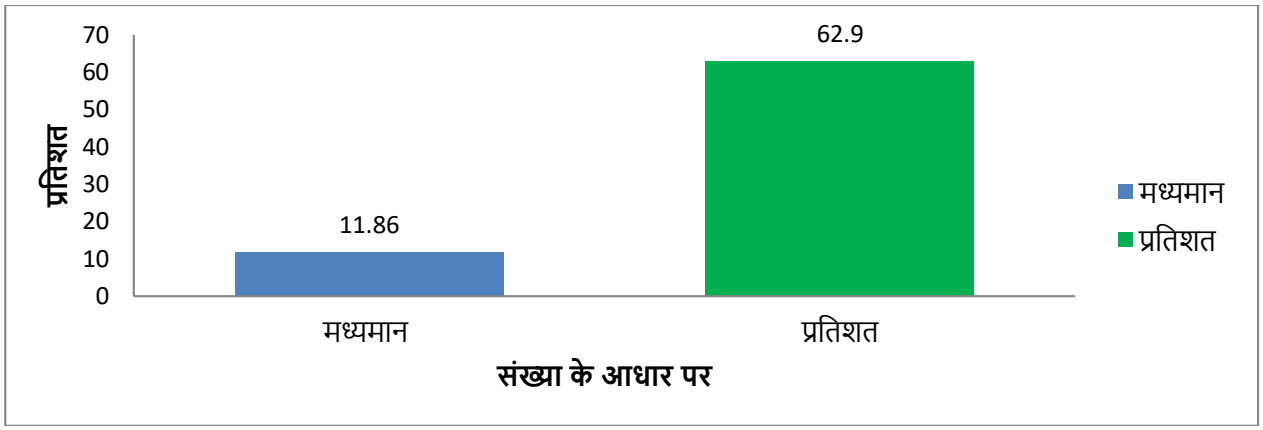

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (1) मे स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में जागरूकता के स्तर का पता लगाने के लिए मध्यमान एवं प्रतिशत को निकाला गया है I जिसमे सभी ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की संख्या 50 है I जिसका का मध्यमान 11.86 तथा प्रतिशत स्कोर 62.90 प्रतिशत है जो सामान्य जागरूकता 80 प्रतिशत से कम है अतः अध्ययन के परिणाम यह दर्शातें है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है I यह ज्ञान वर्कशॉप, पुनर्वास का प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देना आवश्यक है I

तालिका संख्या (2) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में स्तरों के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

क्र.सं.	सदस्यों की संख्या		निम्न स्तर	मध्य स्तर	उच्च स्तर
1.	50	सदस्यों की संख्या	17	28	5
		प्रतिशत	34%	56%	10%

ग्राफ संख्या (2) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में स्तरों के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

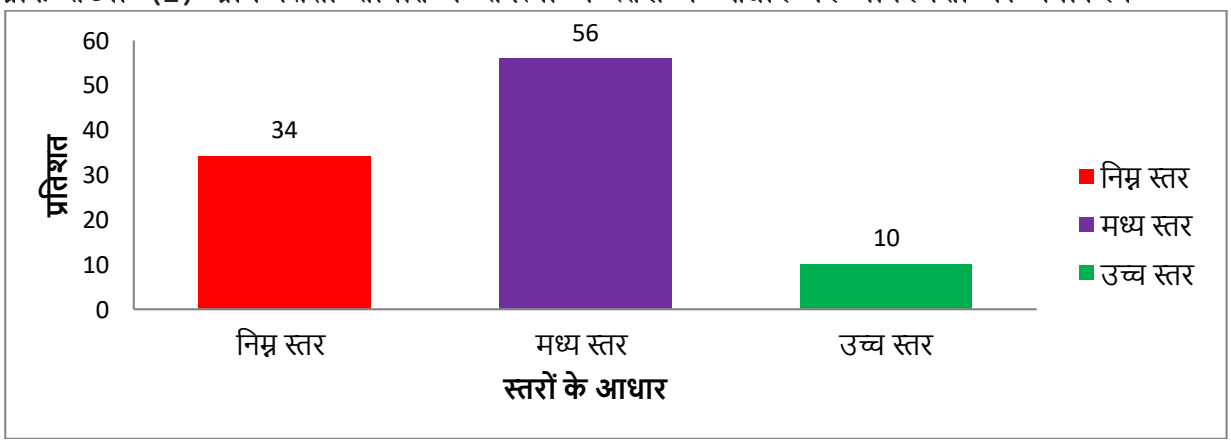

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (2) मे स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में जागरूकता के स्तर के आधार पर निम्न स्तर, मध्य स्तर एवं उच्च स्तर पर बांटा गया I निम्न स्तर में सदस्यों की संख्या 17 है जिसका प्रतिशत स्कोर 34% है, मध्य स्तर में सदस्यों की संख्या जिसका प्रतिशत स्कोर 56 है उच्च स्तर में सदस्यों की संख्या 5 जिनका प्रतिशत स्कोर 10 है I अध्ययन के

परिणाम यह दर्शाते है कि ग्राम शिक्षा समिति में बौद्धिक अक्षम बच्चों के चलायी गयी योजनाओं में जागरूकता का सबसे अधिक मध्य स्तर में पाया गया है जबकि निम्न एवं उच्च स्तर में जागरूकता का स्तर कम है I

तालिका संख्या (3) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

क्र.सं.	लिंग	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	महिला	10	42.67
2.	पुरुष	40	39.98
कुल		50	

ग्राफ संख्या (3) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

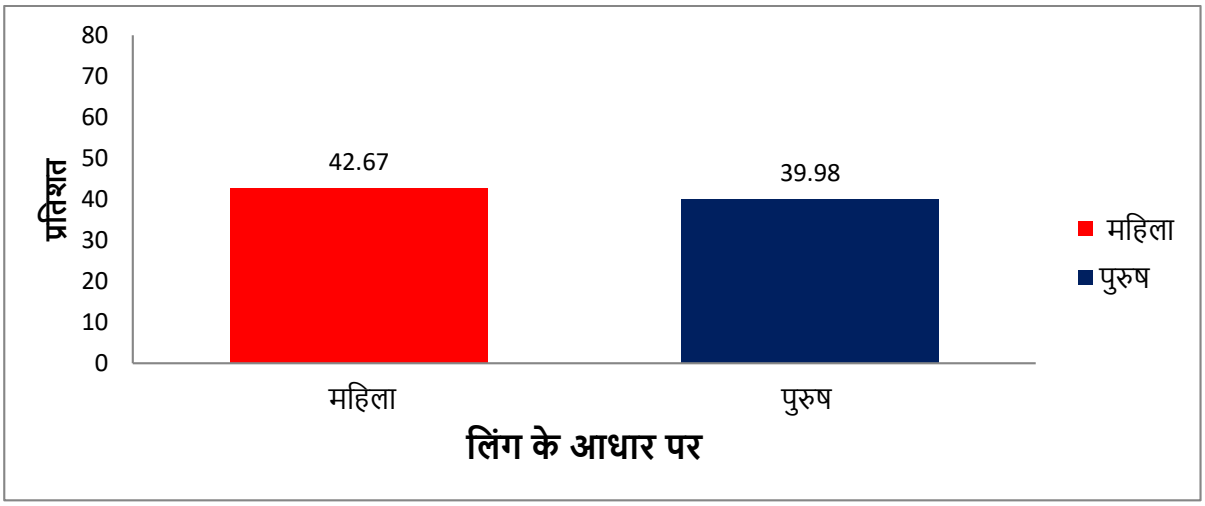

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (3) मे स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की कुल संख्या 50 है जो लिंग के आधार पर महिला एवं पुरुष वर्ग में विभाजित किया गया है जिसमे महिलाओं की सदस्य संख्या 10 है I जिनकी जागरूकता का प्रतिशत स्कोर 42.67 है I जबकि पुरुष सदस्यों की संख्या 40 है जिनका प्रतिशत स्कोर 39.98 है I लिंग के आधार पर यह स्पष्ट होता है महिला एवं पुरुष में प्रतिशत के आधार पर अन्तर है I

तालिका संख्या (4) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1.	पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.)	10	44.67
2.	स्नातक	18	44.63
3.	इन्टरमीडिएट	12	39.16
4.	हाई स्कूल	03	30
5.	जूनियर हाई स्कूल	07	24.77
कुल		50	

ग्राफ संख्या (4) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता का वर्गीक

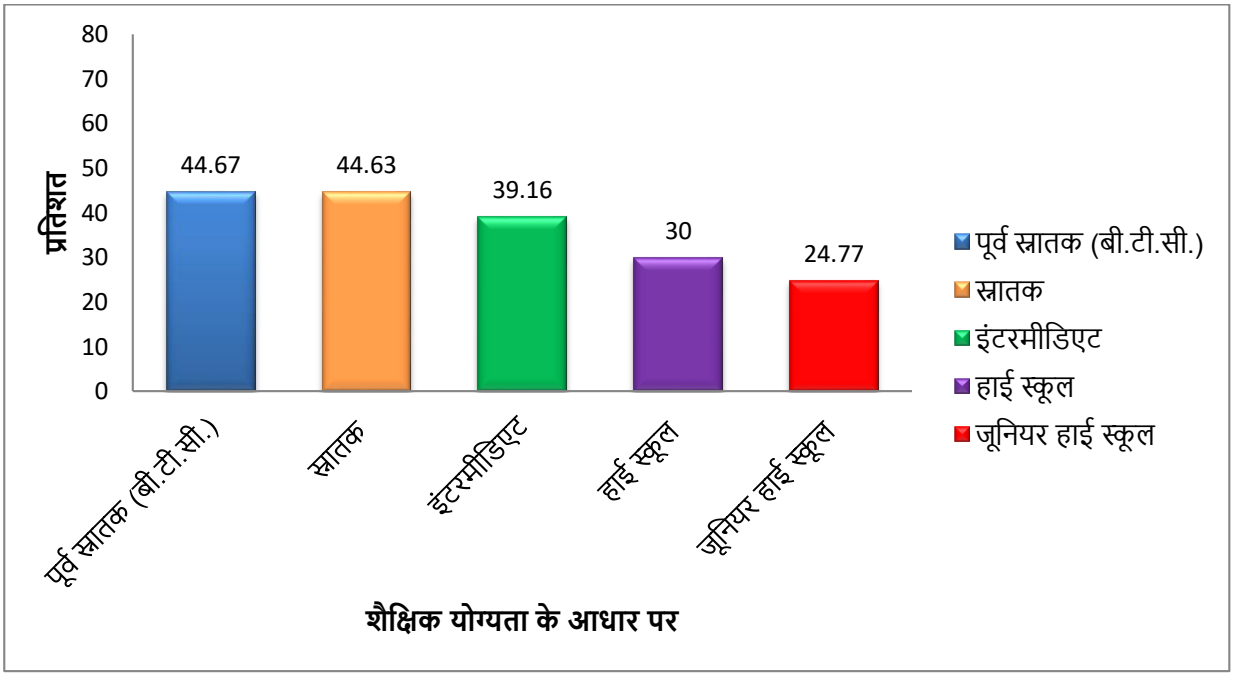

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (4) में स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता को पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.), स्नातक, इन्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल बर्गों में विभाजित किया गया है I जिसमे पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.), सदस्यों की संख्या 10 है जिनका प्रतिशत स्कोर 44.67 है I स्नातक सदस्यों की संख्या 18 है जिनका प्रतिशत स्कोर 44.63 है I इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की संख्या 12 है जिनका प्रतिशत स्कोर 39.16 है I हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की संख्या 3 है जिनका जागरूकता का प्रतिशत स्कोर 30 है I जूनियर हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की संख्या 7 है जिनका जागरूकता का प्रतिशत स्कोर 24.77 है I

तालिका संख्या (5) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के स्तरों के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

क्र.सं.	लिंग		निम्न स्तर	मध्य स्तर	उच्च स्तर
1.	महिला	सदस्यों की संख्या	5	3	2
		प्रतिशत	10%	6%	4%
2.	पुरुष	सदस्यों की संख्या	12	26	2
		प्रतिशत	24%	52%	4%

ग्राफ संख्या (5) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के स्तरों के आधार पर जागरूकता का वर्गीकरण

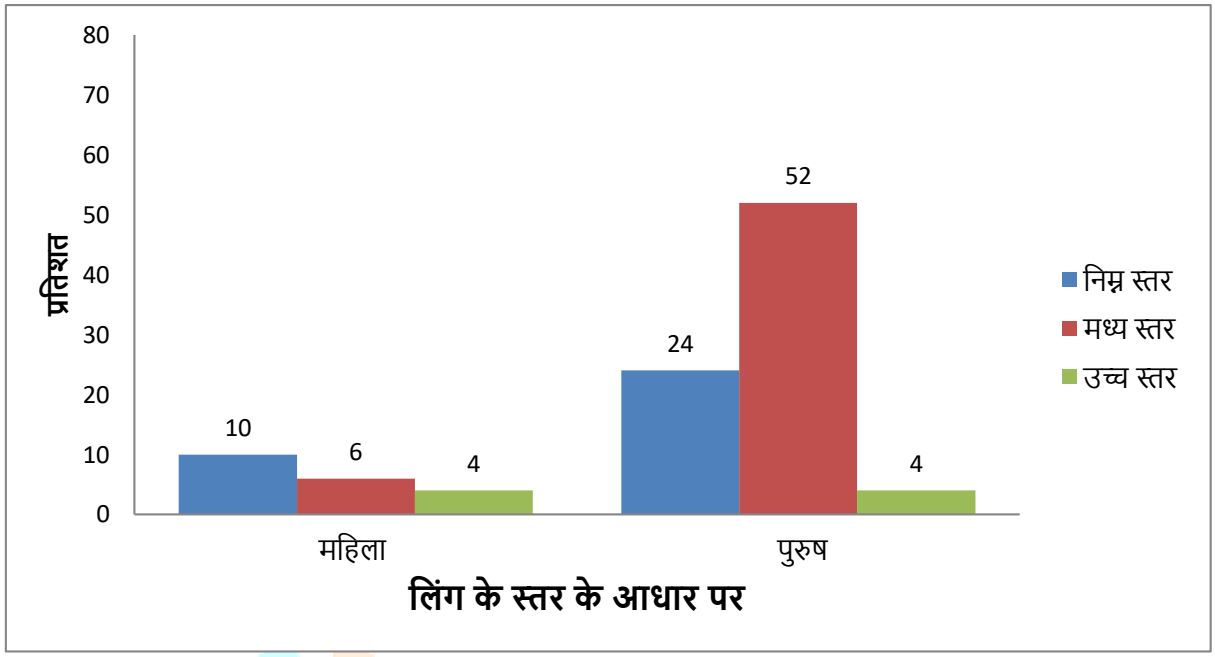

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (5) से स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का उनके लिंग के आधार पर महिला तथा पुरुष में विभाजित किया गया है जिसमे महिलाओं की संख्या 10 है जिनका प्रतिशत स्कोर 42.67 है I तथा पुरुषों की संख्या 40 है जिनका प्रतिशत स्कोर 39.98 है I इन्हे निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर को आंकड़ों के आधार पर विभाजित किया गया है I जिसमे निम्न स्तर में महिलाओं की संख्या 5 है जिनका प्रतिशत स्कोर 10% है I मध्य स्तर में महिलाओं की संख्या 3 है,जिनका प्रतिशत स्कोर 6% है I उच्च स्तर में महिलाओं की संख्या 2 है जिनका प्रतिशत स्कोर 4% है I

जबकि पुरुषों में निम्न स्तर के पुरुषों सदस्यों की 12 है, इनकी प्रतिशत स्कोर 24% हैI मध्य स्तर पर पुरुष सदस्यों की संख्या 26 है इनका प्रतिशत स्कोर 52 है I उच्च स्तर पर पुरुष सदस्यों की संख्या 2 है जिनका प्रतिशत स्कोर 4% है I अतः लिंग के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक है जबकि उच्च स्तर में जागरूकता का स्तर कम है I

तालिका संख्या (6) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर जागरूकता का सार्थक अंतर

क्र.सं.	लिंग	सदस्यों कीसं.	प्रतिशत	मध्यमान	मानक विचलन	df	कैल्कुलेटेड वैल्यु	टेबलवैल्यु
1.	महिला	10	42.67	12.80	3.67	48	0.88	2.01
2.	पुरुष	40	39.98	11.62	4.21			

ग्राफ संख्या (6) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर जागरूकता का सार्थक अंतर

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (6) से स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का अध्ययन

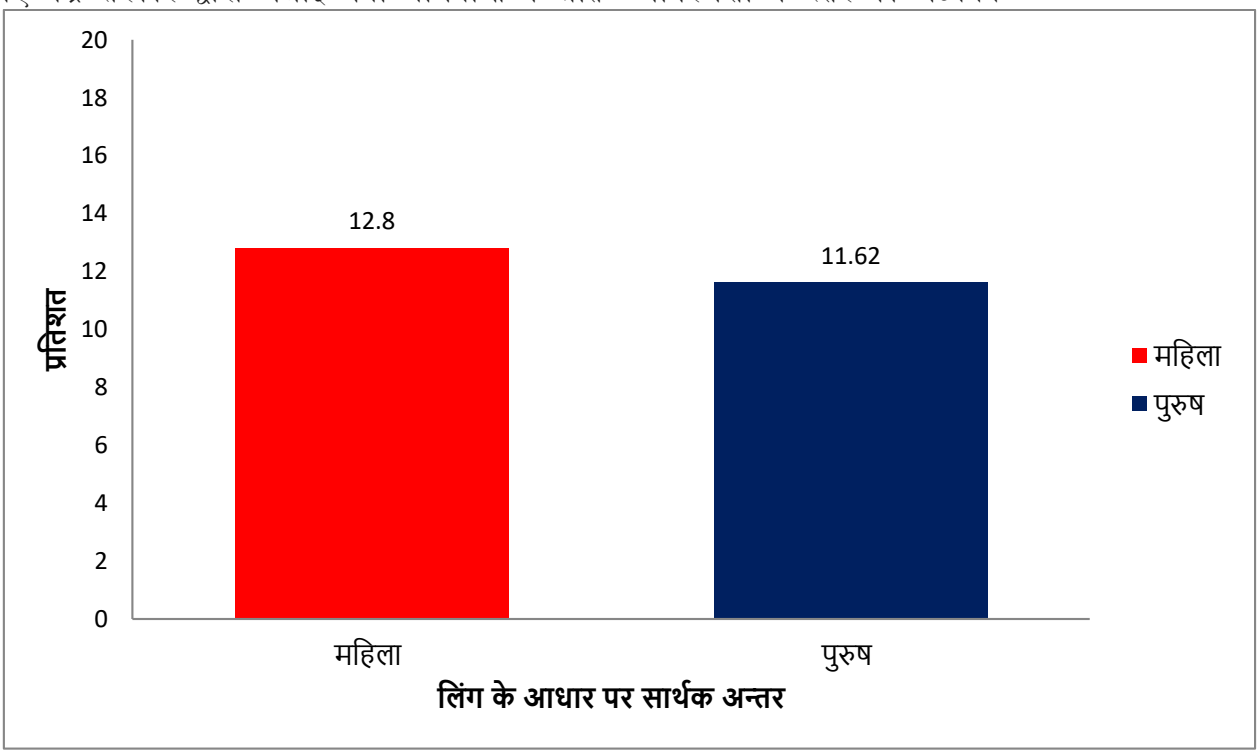

उनके लिंग के आधार पर आंकड़ो के माध्यम से तुलना किया और यह पाया गया कि महिलाओं का मध्यमान 12.80 तथा मानक विचलन 3.67 है जबकि पुरुषों का मध्यमान 11.62 तथा मानक विचलन 4.21 है I पुरुष तथा महिला सदस्य के मध्यमान और मानक विचलन में अन्तर है I

उपर्युक्त आकड़ों के आधार पर टी टेस्ट को समूह पर लगाया गया जिसमे यह निष्कर्ष 0.88 (df-48) प्राप्त हुआ I सार्थकता स्तर 0.05 (2.01) है अतः टेबल वैल्यु से कैल्कुलेटेड वैल्यु कम है I इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का उनके लिंग के आधार पर महिला तथा पुरुष में कोई सार्थक अन्तर नहीं है I

तालिका संख्या (7) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता में सार्थक अन्तर

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता		प्रतिशत	निम्न स्तर	मध्य स्तर	उच्च स्तर
1.	पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.)	सदस्यों की संख्या	10	3	6	1
		प्रतिशत	20%	6%	12%	2%
2.	स्नातक	सदस्यों की संख्या	18	6	10	2
		प्रतिशत	36%	12%	20%	4%
3.	इन्टरमीडिएट	सदस्यों की संख्या	12	3	8	1
		प्रतिशत	24%	6%	16%	2%
4.	हाईस्कूल	सदस्यों की संख्या	3	3	0	0
		प्रतिशत	6%	6%	0%	0%
5.	जूनियर हाईस्कूल	सदस्यों की संख्या	7	2	4	1
		प्रतिशत	14%	4%	8%	2%

ग्राफ संख्या (7) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता में सार्थक अन्तर

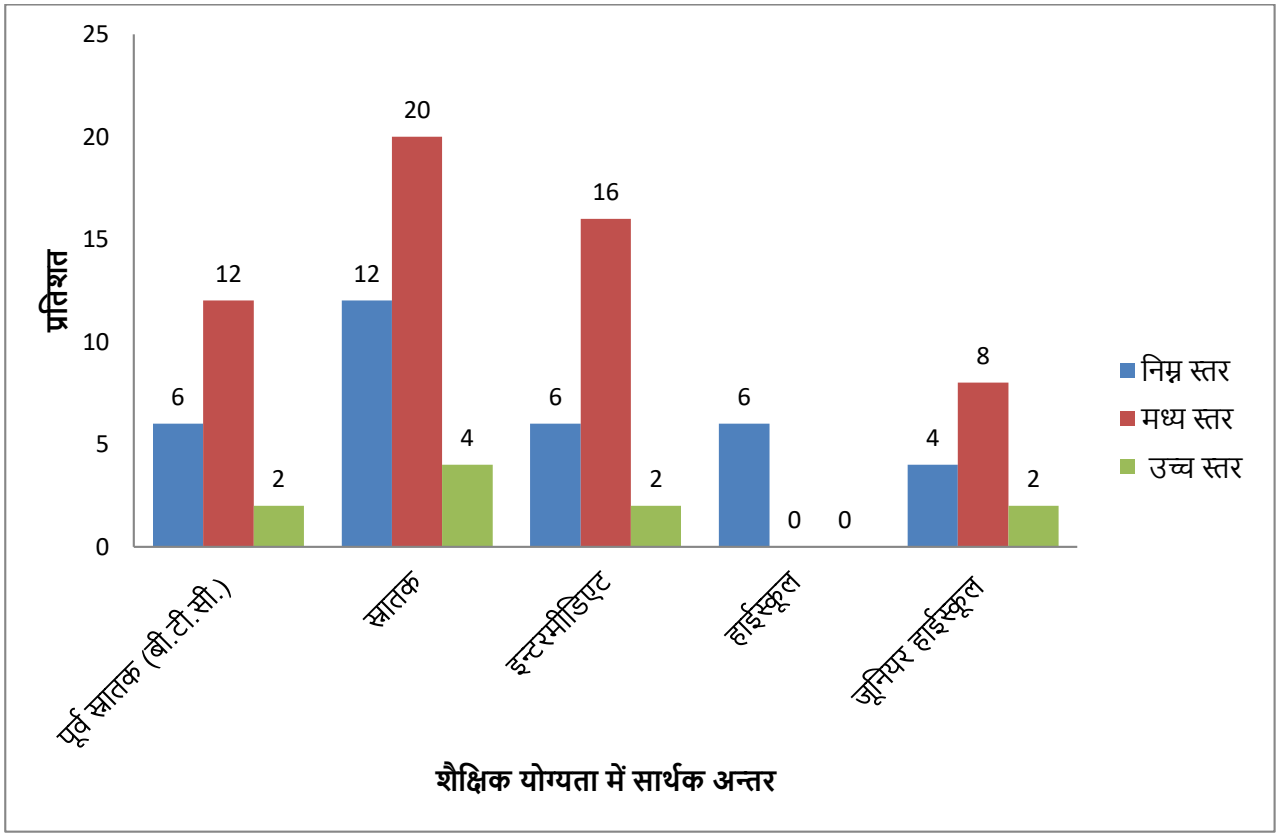

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (7) से स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्तर का उनके शैक्षिक योग्यता के आधार पर पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.), स्नातक, इन्टरमीडिएट, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल में विभाजित किया गया है जिसमे पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) सदस्यों की संख्या 10 जिनका प्रतिशत स्कोर 20 है I स्नातक शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों की संख्या 18 है जिनका प्रतिशत स्कोर 36 प्रतिशत है I इन्टरमीडिएट सदस्यों की संख्या 12 है जिनका प्रतिशत स्कोर 24 प्रतिशत है I हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 3 है जिनका प्रतिशत स्कोर 6 है I जूनियर हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 7 है जिनका प्रतिशत स्कोर 14 है I

इन्हे निम्न स्तर, मध्य स्तर तथा उच्च स्तर में आंकड़ों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसमे निम्न स्तर में पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) सदस्यों की संख्या 3 है जिनका प्रतिशत स्कोर 6 प्रतिशत है I मध्य स्तर में सदस्यों की संख्या 6 है जिनका प्रतिशत स्कोर 12 है I उच्च स्तर में सदस्यों की संख्या 1 है जिनका प्रतिशत स्कोर 2 प्रतिशत है I

स्नातक शैक्षिक योग्यता वालों का कुल प्रतिदर्श 18 है I जिसमे निम्न स्तर में स्नातक सदस्यों की संख्या 6 तथा प्रतिशत स्कोर 12% है I मध्य स्तर में स्नातक सदस्यों की संख्या 10 है तथा प्रतिशत स्कोर 20% है I उच्च स्तर में स्नातक सदस्यों की संख्या 2 है जिनका प्रतिशत स्कोर 4% है I

इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वालों का कुल प्रतिदर्श 12 है I जिसमे निम्न स्तर में इन्टरमीडिएट सदस्यों की संख्या 3 तथा प्रतिशत स्कोर 6% है I मध्य स्तर में इन्टरमीडिएट सदस्यों की संख्या 08 है तथा प्रतिशत स्कोर 16% है I उच्च स्तर में इन्टरमीडिएट सदस्यों की संख्या 1 है इनका प्रतिशत स्कोर 2% है I

हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वालों का कुल प्रतिदर्श 3 है I जिसमे निम्न स्तर में हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 3 तथा प्रतिशत स्कोर 6% है I मध्य स्तर में तथा उच्च स्तर में कोई सदस्य तथा प्रतिशत स्कोर नहीं है I

जूनियर हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वालों का कुल प्रतिदर्श 7 है I जिसमे निम्न स्तर में जूनियर हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 2 तथा प्रतिशत स्कोर 4% है I मध्य स्तर में जूनियर हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 04 है तथा प्रतिशत स्कोर 8% है I उच्च स्तर में जूनियर हाईस्कूल सदस्यों की संख्या 1 है इनका प्रतिशत स्कोर 2% है I

अतः तालिका एवं ग्राफ के द्वारा यह स्पष्ट है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक है जबकि उच्च स्तर में जागरूकता का स्तर कम है I

तालिका संख्या (8) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	मध्यमान	मानक विचलन	df	कैल्कुलेटेड वैल्यु	टेबल वैल्यु
1.	पूर्वस्नातक (बी.टी.सी.)	13.4	4.25	23	0.005	2.07
2.	स्नातक	13.39	4.74			

तालिका संख्या (8) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर

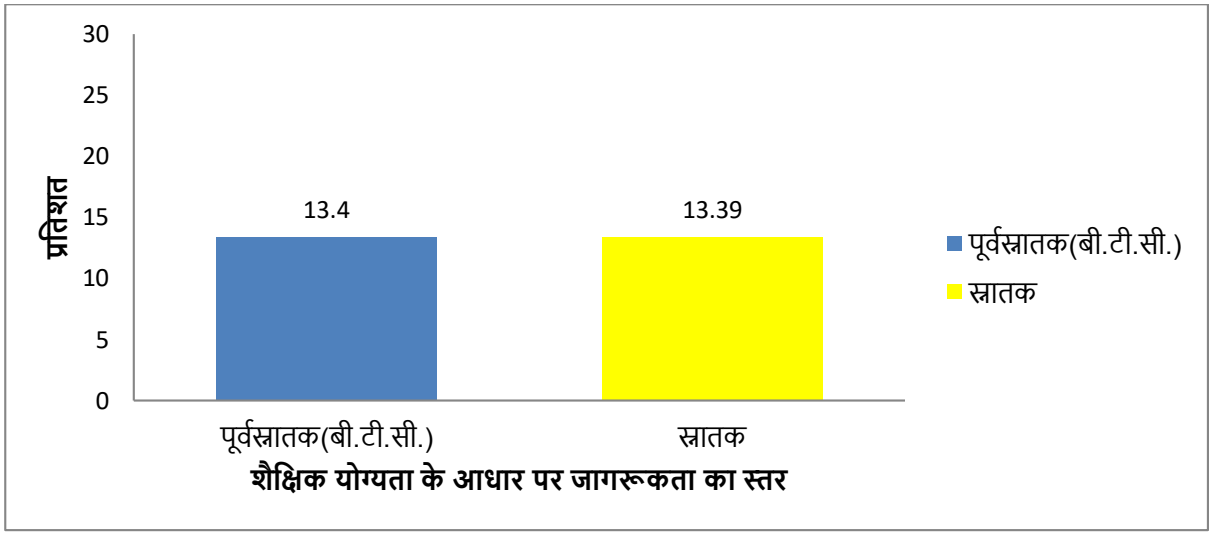

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (8) से स्पष्ट है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रति जगरूकता के स्तर का उनके योग्यता के आधार पर आंकड़ों के माध्यम से तुलना किया और पाया गया कि पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) का मध्यमान 13.4 तथा मानक विचलन 4.25 है जबकि स्नातक शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का मध्यमान 13.39 तथा मानक विचलन 4.74 है I पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) तथा स्नातक शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों के मध्यमान एवं मानक विचलन में अन्तर है I

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर टी-टेस्ट को समूह पर लगाया गया तो यह निष्कर्ष 0.005 (df-23) प्राप्त हुआ I सार्थकता स्तर 0.05(2.07) है I टेबल वैल्यु से कैल्कुलेटेड वैल्यु कम है I इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी बौद्धिक अक्षम बच्चों के योजना के प्रति जागरूकता के स्तर का उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है I

तालिका संख्या (9) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	मध्यमान	मानक विचलन	df	कैल्कुलेटेड वैल्यु	टेबल वैल्यु
1.	हाईस्कूल	9.0	1.63	13	1.75	2.16
2.	इन्टरमीडिएट	11.58	2.87			

ग्राफ संख्या (9) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर

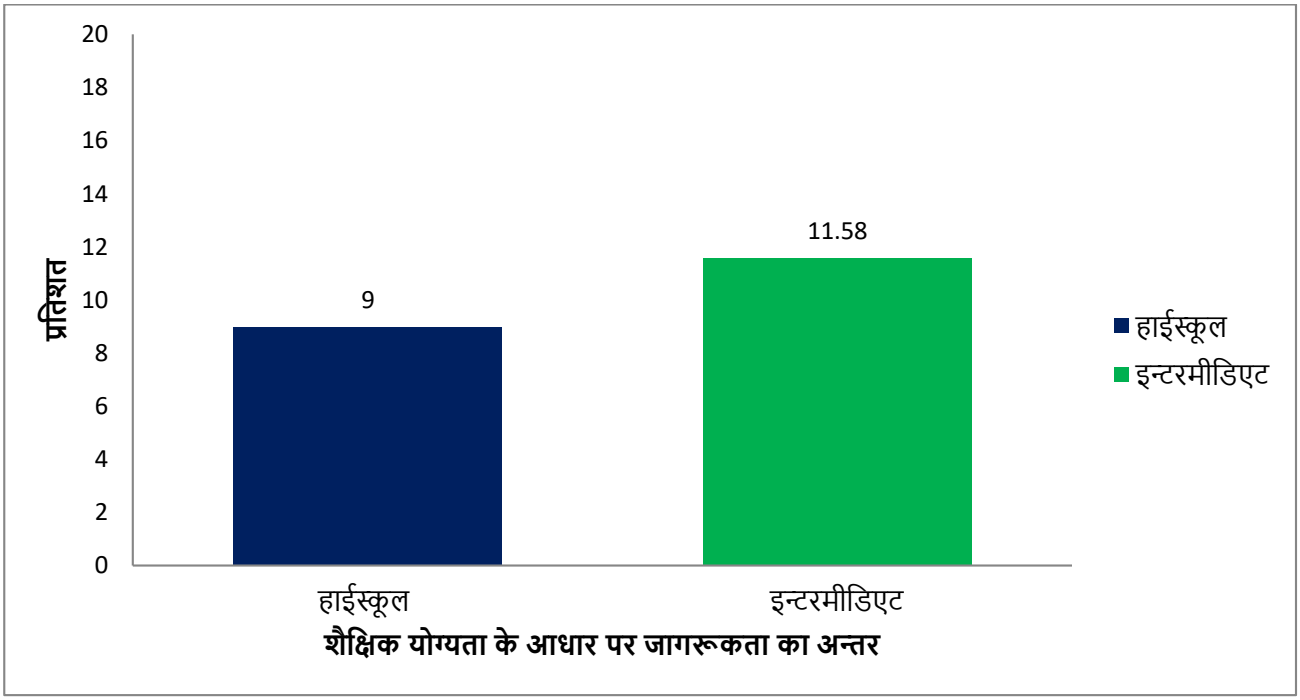

शैक्षिक योग्यता के आधार पर जागरूकता का अन्तर

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (9) से स्पष्ट है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के प्रति जगरूकता के स्तर का उनके योग्यता के आधार पर आंकड़ों के माध्यम से तुलना किया और पाया गया कि हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का मध्यमान 9.0 है तथा मानक विचलन 1.63 है जबकि इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का मध्यमान 11.58 तथा मानक विचलन 2.87 है I हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों के मध्यमान एवं मानक विचलन में अन्तर है I

उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर टी- टेस्ट को समूह पर लगाया गया तो यह निष्कर्ष 0.005 (df -13) प्राप्त हुआ I सार्थकता स्तर 0.05 (2.16) है टेबल वैल्यु से कैल्कुलेटेड वैल्यु कम है इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है I

तालिका संख्या (9) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर

क्र.सं.	शैक्षिक योग्यता	मध्यमान	मानक विचलन	df	कैल्कुलेटेड वैल्यु	टेबल वैल्यु
1.	जूनियर हाईस्कूल	7.43	1.59	17	3.83	2.11
2.	इंटरमीडिएट	11.58	2.87			

ग्राफ संख्या (9) ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में शैक्षिक योग्यता के आधारपर सार्थक अंतर

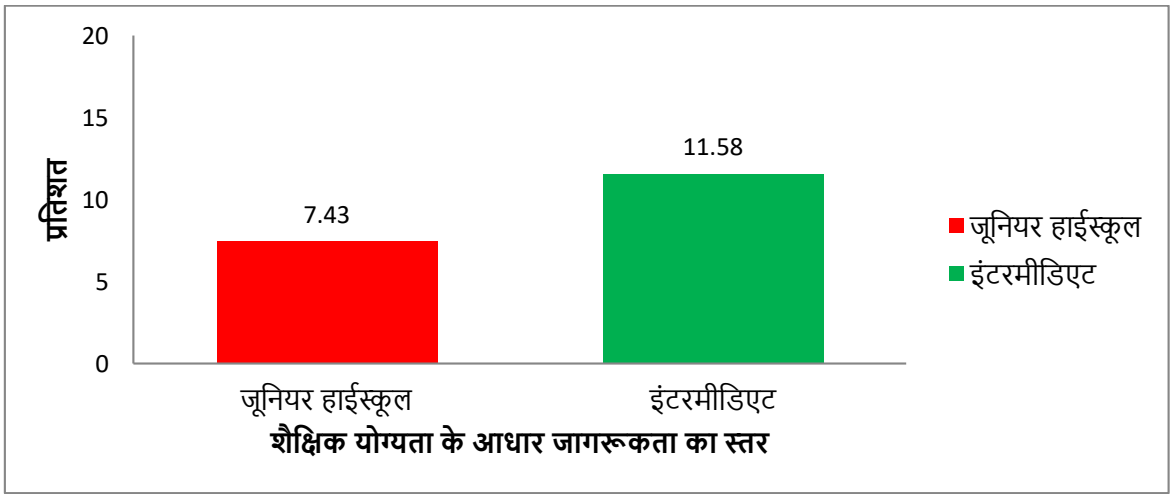

शैक्षिक योग्यता के आधार जागरूकता का स्तर

उपर्युक्त तालिका एवं ग्राफ संख्या (9) से स्पष्ट है कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजना के प्रति जागरूकता के स्तर का उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर आंकड़ों के आधार पर तुलना किया और यह पाया गया कि जूनियर हाईस्कूल शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का मध्यमान 7.43 है तथा मानक विचलन 1.59 है जबकि इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों का मध्यमान 11.58 तथा मानक विचलन 2.87 है I जूनियर हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों के मध्यमान एवं मानक विचलन में अन्तर है I उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर टी- टेस्ट को समूह पर लगाया गया तो यह निष्कर्ष 3.83 (df -17) प्राप्त हुआ I टेबल वैल्यु से कैल्कुलेटेड वैल्यु अधिक है इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जूनियर हाईस्कूल एवं और इन्टरमीडिएट शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों में सार्थक अन्तर है|

परिणाम

बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जागरूकता में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में लिंग के आधार पर महिला पुरुष में मध्यमान एवं मानक विचलन के आधार पर तुलना करने पर बहुत ही कम अंतर देखने को मिला I अध्ययन में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रति ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया I शैक्षिक योग्यता के आधार पर पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.), स्नातक, इंटरमीडिएट, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल में मध्य स्तर में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया जबकि निम्न एवं उच्च स्तर की जागरूकता का स्तर कम है I ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में मध्यमान तथा मानक विचलन में अंतर पाया गया जिसमें टी - टेस्ट लगाया गया I जिसमें टेबल वैल्यू से कैल्कुलेटेड वैल्यू कम है I इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों की योजना के प्रति जागरूकता के स्तर का उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर सार्थक अंतर नहीं है I तथा लिंग के आधार पर मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक है I जबकि उच्च एवं निम्न स्तर में जागरूकता का स्तर कम है I महिला एवं पुरुषों में मानक विचलन में अंतर पाया गया I जिस आधार पर टी - टेस्ट लगाया गया है जिसमे टेबल वैल्यू से कैल्कुलेटेड वैल्यू कम है अतः इस आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं की जागरूकता का स्तर में लिंग के आधार पर सार्थक अन्तर सामान्य है बल्कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर पूर्व स्नातक (बी.टी.सी.) एवं स्नातक सदस्यों में मध्यमान तथा टी-टेस्ट का प्रयोग करने पर सार्थक अंतर सामान्य पाया गया जबकि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के शैक्षिक योग्यता वाले सदस्यों में मध्यमान एवं टी - टेस्ट का प्रयोग करके तुलना करने में सार्थक अंतर है I

निष्कर्ष

इस अध्याय के परिणामों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों की योजनाओं के प्रति मध्य स्तर में जागरूकता का स्तर अधिक है जबकि निम्न स्तर एवं उच्च स्तर में जागरूकता का स्तर बहुत ही कम है I प्रस्तुत अध्ययन में निर्धारित किए गए उद्देश्य एवं अध्ययन के उपरांत प्राप्त परिणामों के विश्लेषण के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के योजनाओं के प्रति जागरूकता का स्तर कम है इस आधार पर योजनाओं की जागरूकता से संबंधित लिंग के आधार पर सार्थक अंतर नहीं पाया गया I शैक्षिक योग्यता के आधार पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं से संबंधित जागरूकता के स्तर में किसी भी प्रकार का सार्थक अंतर नहीं पाया गया I

निहितार्थ

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन का शैक्षिक निहितार्थ से तात्पर्य है कि इस लघु शोध का योजनाओं के क्षेत्र में बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रति ग्राम शिक्षा समिति में योजनाओं के क्षेत्र में क्या-क्या जागरूकता है I इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध किया गया I ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए योजनाओं की जागरूकता होनी चाहिए I जिससे उच्च प्रदर्शन कर सकें और प्रतियोगिताओं में बढ़ा चढ़ाकर भाग ले सकें I समाज के अनुरूप अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सके I ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों में बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रति जागरूकता के स्थिति के बारे में सहायता मिलेगी I उनके जागरूकता के स्तर को किस प्रकार बढ़ाया जाए उसमें भी सहायता मिलेगी I

सुझाव

- बौद्धिक अक्षमता से युक्त बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं पर अध्ययन किया जा सकता है I
- व्यक्तिगत निर्देश एवं परामर्श दिया जा सकता है I
- ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के कार्यक्रम चलाने चाहिए जिसमें बौद्धिक अक्षमता से युक्त बच्चों के बारे में जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा सके I
- प्रशिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें एवं संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें लघु अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिये जा सके I
- बौद्धिक क्षमता के प्रति परिवार की सहायता पर शोधकार्य किये जा सकते हैं I

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह जे.पी. (2000). स्टेटस आफ डिसेबिलिटी इन इन्डिया, नई दिल्ली : आर.सी.आई. I
2. जोसेफ आर.ए. (2003). पुनर्वास के आयाम, वाराणसी : समाकलन पब्लिशर्सI
3. त्रिपाठी वि., कामथ ए. (2014). स्टडी ऑन अवैरनेस आफ राईट टू एजुकेशन, वाराणसी : कम्युनिटी पब्लिसर्स I
4. शीतल (2013). पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हैदराबाद : एस.आर.के. प्रकाशन I
5. सेठी पी.के. (2007). पैरेंटल परसेप्शन ऑन कन्सेशन प्रोवाइडेड वार्ड सेंट्रेल गवर्नमेंट फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, नई दिल्ली : द नेशनल ट्रस्ट पब्लिकेशन I
6. आस्था एंड भार्गव एस (2013). पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट हरियाणा; एलिन एंड बेकान पब्लिसर्स I
7. अन्टोन (2005). इम्पवारिंग द क्वालिटी आफ एजुकेशन, सिडनी : लर्निंग फॉर्म इंटरनेशनल एक्स्पेरियंस I
8. बक्सी एन.एस. (2007). मानव अधिकार शिक्षा नई दिल्ली: प्रेरणा प्रकाशन, नई दिल्ली I
9. मित्तल एस. आर. (2006).एजुकेशन आफ चिल्ड्रन विथ विजन, नई दिल्ली : कनिष्ठ प्रकाशन I
10. वाजपेयी, एल.बी. & बाजपेयी ए. (2009). विशिष्ट बालक, नई दिल्ली : तरुण प्रकाशन I
11. official website: http//www.India.gov.in
12. official website: http//www.jansuraksha.gov.in
13. official website: http//www.mhupa.gov.in